न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,षष्टम सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम
बिहारशरीफ,नालन्दा।

**<u>अग्रिम जमानत आवेदन सं0 323/2026</u>**

शेरू पांडेय उर्फ शेरू कुमार, पे0 सुनील पांडेय
साकिन–श्रीनगर, थाना–चंडी, जिला–नालंदा.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार

**06.04.2026**

चंडी थाना काण्ड सं0 97/2026 अंतर्गत धारा–126(2), 115(2),352, ,351(2), 117(4), 118(2), 191(2), 190, 62 भारतीय न्याय संहिता, धारा–27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा–3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत आवेदक शेरू पांडेय उर्फ शेरू की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक–12.02.26 को दाखिल किया गया था। परंतु आवेदक दिनांक 23.03.2026 से अनुपस्थित हैं। आज भी बार–बार पुकार पर आवेदक की ओर से कोई जमानत आवेदन के सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन से कोई अभिरूची नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन को लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)
ह0/–
(धीरज कुमार भास्कर)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम्
सह विशेष न्यायाधीश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम
नालन्दा, बिहारशरीफ।